कार्यालय प्रधान मुख्य वन संरक्षक (वन्यजीव) मध्यप्रदेश

(कक्ष-स्टेट टाइगर स्ट्राइक फोर्स म.प्र.)

E-mail—pccfwl@mp.gov.in

प्रेस विज्ञप्ती (**50/26** दिनांक **08.08.2026**)

वन्यजीव तेंदुए के अवैध शिकार एवं तस्करी मामले में STSF मध्यप्रदेश ने पकड़ा 8 वा शिकारी एवं शिकारियों की निशानदेही से जप्त किये तेंदुए का कंकाल/अन्य अवयव एवं फंदे।

प्रधान मुख्य वन संरक्षक (वन्यजीव) एवं मुख्य वन्यजीव अभिरक्षक, मध्यप्रदेश के निर्देशानुसार अंतर्राज्यीय शिकार एवं तस्करी गिरोह के विरुद्ध चलाए जा रहे विशेष अभियान के तहत स्टेट टाइगर स्ट्राइक फोर्स (STSF) मध्यप्रदेश, की निरंतर प्रभावी कार्यवाही की जा रही है।

पूर्व में दिनांक 23 जुलाई 2026 को आगरा (उ.प्र) मे तेंदुए की 10 नग खालों के साथ तस्करों को पकड़ा गया था। इस प्रकरण के तार मध्यप्रदेश से जुड़े होने पर STSF मध्यप्रदेश एवं स्थानीय वन अमले द्वारा गठित टीमों ने त्वरित कार्यवाही करते हुए पूर्व में 07 आरोपियों को गिरफ्तार कर भारी मात्रा में तेंदुआ के अवयव को जप्त कर दो वन अपराध प्रकरण दर्ज किए थे।

इसी क्रम में अभियान के दूसरे चरण मे गिरफ्तार आरोपियो को माननीय विशेष न्यायलय शिवपुरी से फारेस्ट रिमांड पर लेकर पूछताछ कर, उनकी निशानदेही पर श्योपुर जिले से 02 ओर तेंदुए के अवयव तथा शिकार करने में प्रयुक्त 02 नग फंदा (Leg Hold Trap) को भी जप्त किया गया। दूसरी ओर मुखबिर तंत्र विकसित कर संगठित गिरोह के एक अन्य वांछित शिकारी केशव पिता मन्नू नाथ,ग्राम हासई, जिला मुरैना को गिरफतार कर उसे भी माननीय विशेष न्यायलय से रिमांड पर लेकर अग्रिम कार्यवाही कर मुरैना के बीहड़ों से आरोपी द्वारा गाड़े गए वन्यजीव तेंदुए के कंकाल को विधिवत ज़ब्त किया गया।

अभी तक चलाये गए चरणबद्ध अभियान के तहत 10 तेंदुआ के शिकार मे शामिल सभी मुख्य शिकारियों की गिरफ़्तारी हो चुकी है एवं उनकी निशानदेही पर भारी मात्रा मे वन्यजीव तेंदुआ के अवयव एवं शिकर मे प्रयुक्त 03 फंदे व अन्य सामग्री भी जप्त हो चुके है। गिरफ्तार आरोपियों को माननीय विशेष न्यायलय मे पेश कर उन्हे जेल भेजा जा चुका है। प्रकरण मे विवेचना जारी है एवं इस संगठित गिरोह में शामिल अन्य आरोपियों की गिरफ़्तारी हेतु अभियान चलाया जा रहा है।

अधिकृत अधिकारी
कार्यालय प्रधान मुख्य वनसंरक्षक (वन्यजीव)
(कक्ष- एसटीएसएफ)
मध्यप्रदेश, भोपाल